नवभारत टाइम्स, नयी दिल्ली, २६ जुलाई, १९८३

विश्व हिन्दू परिषद के खजाने के बल पर ट्रस्टियों के चहेतों को एडवांस

—आलोक मेहता द्वारा—

नयी दिल्ली, २५ जुलाई। 'विश्व हिन्दू परिषद' की आड़ में बम्बई के कुछ प्रमुख व्यापारियों द्वारा बैंक से लाखों रुपये का मुनाफा कमाने और आयकर से बचने का एक सनसनीखेज मामला रिजर्व बैंक के माध्यम से वित्त मन्त्रालय के सामने आया है। ये व्यापारी विश्व हिन्दू परिषद के ट्रस्टी के नाते भारी धन सीधा बैंक में जमा करवाते हैं और इसके बदले में अपने परिवार की फर्मों को कई गुना अधिक राशि को 'अग्रिम' (एडवांस) दिलवा देते हैं।

इस प्रकरण की छानबीन करने पर पता चला है कि विश्व हिन्दू परिषद के कुछ ट्रस्टियों ने पिछले वर्ष स्टेट बैंक आफ इंडिया और सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में परिषद के नाम से जमा लगभग दो करोड़ रुपये की राशि निकालकर पंजाब एंड सिंध बैंक की मालाबार हिल स्थित शाखा में जमा करा दी, क्योंकि ये दोनों बैंक इन ट्रस्टी द्वारा नामजद लोगों को भारी अग्रिम देने को तैयार नहीं थे। नए बैंक के शाखा प्रबन्धक से इनके नामजद लोगों को भारी 'अग्रिम' मिलने लगा।

पंजाब एंड सिंध बैंक के एक बचत खाते में ट्रस्टियों की ओर से जमा की गई राशि ११ अक्तूबर, १९८२ को लगभग दो करोड़ रुपये थी, लेकिन इन खातों में ६ महीनों की अवधि में ५ करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ। इन खातों की जमा राशि का ब्यौरा आयकर प्रशासन को नहीं पहुंचा। जबकि रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार २१ मार्च, १९८२ से सभी बैंकों को ३ लाख रुपये से अधिक की जमा राशि वाले बचत खातों की सूचना आयकर विभाग को पहुंचाना अनिवार्य हो चुका है।

इस प्रकरण का दूसरा रोचक पहलू यह है कि विश्व हिन्दू परिषद के ये ट्रस्टी उन्हीं बैंकों से अपना लेन-देन रखते हैं, जो लाखों रुपये जमा करने के बदले लाख दो लाख रुपये नकद दान देने को तैयार हों। पता चला है कि देश के कई बैंक अपनी शाखा बढ़ाने और साल में दो चार करोड़ जमा राशि अधिक दिखाने के लिए इस तरह का 'नकद प्रोत्साहन' देते हैं। इसी अभियान के अन्तर्गत इन ट्रस्टियों ने नरीमन प्वाइंट स्थित नेशनल कार्पोरेशन बैंक और काला घोड़ा स्थित लक्ष्मी विलास बैंक में ५०-६० लाख रुपये की राशि तीन महीने की अवधि के लिए जमा करवाई और सवा-सवा

(शेष पृष्ठ सात कालम छह पर)